Phone-0120-2783617
E-mail-dfogzb@gmail.com

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद

पत्रांक : 1889 / 147 दिनांक, गाजियाबाद 20 जनवरी, 2017

सेवा में,

प्रोजेक्ट डायरेक्टर,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
म0नं0–518, नीति खण्ड–1,
इन्दिरापुरम, गाजियाबाद।

विषयः गाजियाबाद में दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेस–वे (ग्रीन फील्ड परियोजना) के निर्माण हेतु 14.018 हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित वृक्षों व पौधों के पातन, 1.035 हैक्टेयर संरक्षित वन भूमि व उस पर अवस्थित वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः भारत सरकार की पत्र सं0–8 बी/06/02/2017/एफ0सी0/479, दिनांक 11.01.2017 तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक–1495/गा0बाद/ 10947/2015, दिनांक 16.01.2017।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र (प्रति संलग्न) के क्रम में अवगत कराना है कि गाजियाबाद में दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेस–वे (ग्रीन फील्ड परियोजना) के निर्माण हेतु 14.018 हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित वृक्षों व पौधों के पातन, 1.035 हैक्टेयर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से निम्न आपत्तियों के निस्तारण की अपेक्षा की गई है।

अतः आप निम्नानुसार वांछित सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकेः–

1. The kml file of proposed forest land diversion is in poly-line format rather polygon format, therefore, GIS DSS analysis of the proposed forest land diversion is not possible.
2. The proposal is without copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency.
3. The details of 10 patches of forest land proposed for diversion has not been provided in hard copy as well as not uploaded online.
4. The proposal has been submitted with analysis of minimum three alternative alignments but selection of proposed alignment is not based on the basis of minimum forest area. The kml files of tree alternatives with details of forest area calculation have also not been submitted with the proposal.
5. Topo-sheet attached for alternative alignment does not provide forest area values of each alternative.
6. Though the proposal is less than 20 ha in plains and does not require cost benefit analysis but the copy uploaded with the proposal is not as per MoEF&CC guidelines.
7. The proposal is without copy of application require for Environmental Clearance.
8. The forest area calculation as per land schedule uploaded with the proposal shows different value of forest area for diversion. This is a major flaw and needs rectification.
9. The certificate of DM under FRA-2006 (page 2016) does not mention all the gazette notifications. This is need revision. The correct certificate needs uploading also.
10. A copy of strip plan uploaded with the proposal needs submission along with hard copy.

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद

पत्रांक : 1889 / 147 दिनांकित

1. प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद

F:/Joshi Ji/Up Van Sanrashak Urvi Jalon